

16/11/20 पत्रवली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित
 हैं। बार-बार-आवाज लगाई। वादी पक्ष
 की ओर से नोट-इवाजीस हैं। चूंकि अब
 सायं के 05 बज चुके हैं- अन्तिम बार
 आवाज लगाई गई वादी पक्ष की ओर
 से नाही वकील वादी, नाही स्वयं वादी और
 नाही नोट खीजा होकर ही उपस्थित आये।
 अतः वादी के वाद को हुक्म लपरी/अहम
 पेशी में खारिज किया जाला है। प्रकरण की
 अन्तिम कार्यवाही इसी स्तर पर डाल की
 जाली है। पत्रवली केवल बुधवार होकर नम्बर
 से कम ही। वाद तकमिल जमा किया लेख
 बन्दार ही। सुनाया गया।



हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नया एवं नार्गल्य श
हुक्म की तामोर में

16/11/82 आपस पत्रावली पेश करे। अंकि आप पत्रावली
की मूल कवा पत्रावली अद्वय लक्षरी। अद्वय
पैरवी में खारिज की जा चुकी है। अब इस
पुनः पत्र पत्रावली का कोई औचित्य नही रह
गया है। ऐसी स्थिति में इस पुनः पत्रावली
को भी ~~अद्वय लक्षरी~~ अद्वय पैरवी में
खारिज किया जाता है। प्रकरण की अग्रिम
कार्यवाही इसी स्तर पर होप की जाती है एवं
पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त
किया जाता है। पत्रावली कोसल सुभार लेकर
अद्वय ले कम ही बाद सकील पत्रावली
लेख भण्डार ले एवं समाप्त मूल कवा पत्रावली
रहे। सुनाया गया।

